

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 881 सन 2021

अनवान :-

1. दलुराम पुत्र स्व गिरधारी जाति मेधवंशी निवासी धानसिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
वादी

बनाम

1. सीताराम पुत्र स्व लादुराम जाति मेधवंशी निवासी धानसिया तहसील नोहर।
2. धन्नाराम पुत्र स्व लादुराम जाति मेधवंशी निवासी धानसिया तहसील नोहर।
3. कालूराम पुत्र स्व लादुराम जाति मेधवंशी निवासी धानसिया तहसील नोहर।
4. गुडडी देवी पत्नी स्व लादुराम जाति मेधवंशी निवासी धानसिया तहसील नोहर।
5. सुमित्रा पुत्री लादुराम जाति मेधवंशी निवासी धानसिया तहसील नोहर।
6. कृष्णा पुत्री लादुराम जाति मेधवंशी निवासी धानसिया तहसील नोहर।
7. शारदा पुत्री लादुराम जाति मेधवंशी निवासी धानसिया तहसील नोहर।
8. हनुमान पुत्र स्व गोमती पुत्री गिरधारी जाति मेधवंशी निवासी धानसिया तहसील नोहर।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

असल प्रतिवादीगण

10. श्योकार्से पत्नी स्व मालाराम जाति मेधवंशी निवासी धानसिया तहसील नोहर।
11. श्रवण पुत्र स्व मालाराम जाति मेधवंशी निवासी धानसिया तहसील नोहर।
12. चैनादेवी पत्नी स्व हनुमान जाति मेधवंशी निवासी धानसिया तहसील नोहर।
13. बुधराम पुत्र हनुमान जाति मेधवंशी निवासी धानसिया तहसील नोहर।
14. सहीराम पुत्र हनुमान जाति मेधवंशी निवासी धानसिया तहसील नोहर।
15. चमपा पुत्री स्व हनुमान जाति मेधवंशी निवासी धानसिया तहसील नोहर।
16. रामी पुत्री स्व हनुमान जाति मेधवंशी निवासी धानसिया तहसील नोहर।
17. मनीराम पुत्र मालाराम जाति मेधवंशी निवासी धानसिया तहसील नोहर।
18. बद्रीराम पुत्र मालाराम जाति मेधवंशी निवासी धानसिया तहसील नोहर।
19. गुडडी पुत्री मालाराम जाति मेधवंशी निवासी धानसिया तहसील नोहर।
20. गीता पुत्री मालाराम जाति मेधवंशी निवासी धानसिया तहसील नोहर।
21. भंवरी पुत्री मालाराम जाति मेधवंशी निवासी धानसिया तहसील नोहर।
22. ग्यारसी पुत्री मालाराम जाति मेधवंशी निवासी धानसिया तहसील नोहर।

तरतीबी प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पैरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 29.11.2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा धानसिया के खाता संख्या 126/126 की कुल 17.407 हैक् भूमि गौरा पत्नी गिरधारी, मालाराम, लाधुराम दलुराम पि0 गिरधारी के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सें दर्ज है।

उक्त भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गौरा पत्नी गिरधारी, मालाराम, लाधुराम दलुराम पि0 गिरधारी जिसमें से मालाराम, लाधुराम व गोमी पुत्री गिरधारी का देहान्त हो चुका है लादुराम के वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 है व गोमती का एक मात्र वारिस हनुमान है तथा मालाराम के वारिसान प्रतिवादी संख्या 10 ता 22 है इसप्रकार गौरा पत्नी गिरधारी, मालाराम, लाधुराम दलुराम पि0 गिरधारी के जायज व कानुनी वारिसान सजस खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8, 10 ता 22 है जो वाद भूमि विरास्तन से अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 वादी की बहने एवं लादुराम की पुत्री है व प्रतिवादी संख्या 8 वादी की बहन गोमती का पुत्र है एवं प्रतिवादी संख्या 4 ता 8 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3, 10 ता 22 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 22 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की गौरा पत्नी गिरधारी, मालाराम, लाधुराम दलुराम पि0 गिरधारी नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2, 10 ता 22 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 22 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उक्त भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गौरा पत्नी गिरधारी , मालाराम , लाधुराम दलुराम पि0 गिरधारी जिसमें से मालाराम , लाधुराम व गोमी पुत्री गिरधारी का देहान्त हो चुका है जिनके जायज व कानुनी वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ,10 ता 22 है जो वाद भूमि विरास्तन से अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है तथा तथा प्रतिवादी संख्या 4 ता 8 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पुत्रों वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,10 ता 22 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1ता 3 ,10 ता 22 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं मजमें आम की सहमति/जानकारी के आधार पर वाद का निस्तारण फरमावे।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल/आपसी सहमति मजमे आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रही।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान - वर्ष -2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में उभयपक्षों की सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 22 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल/सहमति पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नहीं है तथा अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद न्यायायिक दृष्टान्तों एवं आपसी सहमति /मजमे आम की सहमति /जानकारी के आधार पर वाद वादी डिक्री फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षों को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा धानसिया के खाता संख्या 126/126 की कुल 17.407 हैक् भूमि गौरा पत्नी गिरधारी , मालाराम , लाधुराम दलुराम पि0 गिरधारी के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में से दर्ज है।

वादी का कथन है कि उक्त भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गौरा पत्नी गिरधारी , मालाराम , लाधुराम दलुराम पि0 गिरधारी जिसमें से मालाराम , लाधुराम व गोमी पुत्री गिरधारी का देहान्त हो चुका है जिनके जायज व कानुनी वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ,10 ता 22 है जो वाद भूमि विरास्तन से अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 4 ता 8 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 4 ता 8 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,10 ता 22 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 4 ता 8 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 22 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा धानसिया के खाता संख्या 126/126 की कुल 17.407 हैक् भूमि में वादी अकेला 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बहिब 1/3 हिस्सा, एवं प्रतिवादी संख्या 10 ता 12 ,17 ता 22 बहिब 7/24 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 13 ता 16 बहिब 1/24 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.11.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नाहर (हनुमानगढ़)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष- 2021
कैम्प कोर्ट...धानसिया

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. दलुराम पुत्र स्व गिरधारी जाति मेधवंशी निवासी धानसिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
वादी

बनाम

1. सीताराम पुत्र स्व लादुराम जाति मेधवंशी निवासी धानसिया तहसील नोहर।
2. धन्नाराम पुत्र स्व लादुराम जाति मेधवंशी निवासी धानसिया तहसील नोहर।
3. कालूराम पुत्र स्व लादूराम जाति मेधवंशी निवासी धानसिया तहसील नोहर।
4. गुडडी देवी पत्नी स्व लादुराम जाति मेधवंशी निवासी धानसिया तहसील नोहर।
5. सुमित्रा पुत्री लादुराम जाति मेधवंशी निवासी धानसिया तहसील नोहर।
6. कृष्णा पुत्री लादुराम जाति मेधवंशी निवासी धानसिया तहसील नोहर।
7. शारदा पुत्री लादुराम जाति मेधवंशी निवासी धानसिया तहसील नोहर।
8. हनुमान पुत्र स्व गोमती पुत्री गिरधारी जाति मेधवंशी निवासी धानसिया तहसील नोहर।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।
असल प्रतिवादीगण
10. श्योकारो पत्नी स्व मालाराम जाति मेधवंशी निवासी धानसिया तहसील नोहर।
11. श्रवण पुत्र स्व मालाराम जाति मेधवंशी निवासी धानसिया तहसील नोहर।
12. चैनादेवी पत्नी स्व हनुमान जाति मेधवंशी निवासी धानसिया तहसील नोहर।
13. बुधराम पुत्र हनुमान जाति मेधवंशी निवासी धानसिया तहसील नोहर।
14. सहीराम पुत्र हनुमान जाति मेधवंशी निवासी धानसिया तहसील नोहर।
15. चमपा पुत्री स्व हनुमान जाति मेधवंशी निवासी धानसिया तहसील नोहर।
16. रामी पुत्री स्व हनुमान जाति मेधवंशी निवासी धानसिया तहसील नोहर।
17. मनीराम पुत्र मालाराम जाति मेधवंशी निवासी धानसिया तहसील नोहर।
18. बद्रीराम पुत्र मालाराम जाति मेधवंशी निवासी धानसिया तहसील नोहर।
19. गुडडी पुत्री मालाराम जाति मेधवंशी निवासी धानसिया तहसील नोहर।
20. गीता पुत्री मालाराम जाति मेधवंशी निवासी धानसिया तहसील नोहर।
21. भंवरी पुत्री मालाराम जाति मेधवंशी निवासी धानसिया तहसील नोहर।
22. ग्यारसी पुत्री मालाराम जाति मेधवंशी निवासी धानसिया तहसील नोहर।
तरतीबी प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 923 सन 2021 निर्णय दिनांक-29.11.2021

आज यह वाद प्रशासन गांव कं संग अभियान वर्ष - 2021 कैम्प कोर्ट में मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा धानसिया के खाता संख्या 126/126 की कुल 17.407हैक्ठ भूमि में वादी अकेला 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बहिब 1/3 हिस्सा, एवं प्रतिवादी संख्या 10 ता 12 ,17 ता 22 बहिब 7/24 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 13 ता. 16 बहिब 1/24 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे

पर्चा डिक्री आज दिनांक 29.11.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष- 2021
कैम्प कोर्ट....धानसिया